कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक– 13/7/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), समस्तीपुर
जिला– समस्तीपुर

17 JUL 2017

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्तीपुर के जनवरी 2011 से मार्च 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 361 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

नगर विकास एवं आवास विभाग पत्र पंजी 18 JUL 2017 6572 संख्या..... बिहार, पटना

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14679/133 दिनांक– 13.7.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, समस्तीपुर

13/07/17

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण पतिवेदन सं.– 361/17–18

भाग–।

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्तीपुर
2	लेखा की अवधि	जनवरी 2011 से मार्च 2017 तक
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	निरीक्षित कार्यालय की 01/2011 से 03/2017 तक के लेखाओं के नमूना जाँच की गई। उक्त अवधि में जिला कोषागार समस्तीपुर में की गई जमा सहित माह जनवरी 2014 एवं मार्च 2016 का विस्तृत जाँच में आहरण की गई राशियों का सत्यापन किया गया।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	दिनांक 22.04.2017 से 02.05.17 तक
5	निरीक्षित कार्यालय प्रधान का नाम	1. श्री राजेश कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री श्याम दत्त मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. श्री अनिल कु0 रजक, स0ले0प0अ0 3. श्री रामजतन कुमार, व0ले0प0
7	पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री विनोद रजक, व0ले0प0अ0
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	प्रथम अंकेक्षण
09	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार–विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 02.05.2017 को आंशिक आपत्तियों का प्रारंभिक जवाब उपलब्ध कराया गया एवं शेष आपत्तियों का जवाब जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा अद्यतन नहीं दिया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षत इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी लेखा परीक्षा दल, कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग–II-खण्ड–क

शून्य

भाग–II-खण्ड–ख

कंडिका–1 अनियमित कार्यों के चयन पर व्ययः रू0 33.35 लाख

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं का चयन एवं शुभारंभ हेतु संकल्प संख्या–2375 दिनांक 12.05.08 द्वारा सरकार द्वारा विषयांकित योजना का प्रारंभ किया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जाना था। जिसे संकल्प के पैरा 2.2 में जिला संचालन समिति स्वरूप स्पष्ट वर्णित है। इसी के आलोक में दिनांक–26.8.15 को डा0 रंजु गुप्ता, माननीय मंत्री, गन्ना उधोग विभाग, बिहार सरकार–सह–अध्यक्ष, जिला संचालन समिति, समस्तीपुर की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए योजनाओं का चयन किया गया था एवं उसी सूची के आधार पर ही कार्यान्वयन कराया जाना था।

जिला योजना कार्यालय समस्तीपुर एवं कार्यपालक अभियंता (डूडा) समस्तीपुर द्वारा उक्त योजना से संबंधित संधारित लेखा अभिलेखों एवं संचिकाओं के नमूना जांच में पाया गया कि उक्त वित्तीय वर्ष में योजनाओं के चयन सूची में नगर परिषद् समस्तीपुर – 37 संख्या में सड़क एवं नाला के निर्माण एवं 06 सं0 में सौन्दर्यीकरण, नगर पंचायत, रोसड़ा– 22 सं0 में सडक एवं नाला के निर्माण एवं 04 सं0 में सौन्दर्यीकरण तथा नगर पंचायत, दलसिंहसराय–05 में सड़क एवं नाला निर्माण एवं 01 सं0 में सौन्दर्यीकरण कार्य हेतू चयन किया गया था। कार्यपालक अभियंता डूडा कार्यालय समस्तीपुर द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 31 योजनाएं कार्यान्वयन हेतु ली गई थी। जिसमें से तीन योजनाएं कम सं0 28, 30 एवं 31 के कार्य का चयन, जिसकी प्रा0 राशि कमशः ₹28.29 लाख, ₹4.30 लाख एवं ₹17.29 लाख थी, जिसके निर्माण कार्य पर कुल व्यय कमशः ₹ 14.38 लाख (50 प्रतिशत), ₹3.82 लाख (88.37 प्रतिशत) एवं ₹ 15.15 लाख (87.62 प्रतिशत) अर्थात् कुल राशि ₹ 33.35 लाख किया गया जो उक्त चयन सूची में नहीं पाया गया। पुनः यह पाया गया कि उक्त तीन योजनाओं की प्रा0 राशि से कम में ही कार्य पूर्ण करा दिया गया।

इस प्रकार उक्त तीन योजनाओं का चयन जिला संचालन समिति के प्राथमिकता सूची में नहीं रहने पर कार्य कराकर उस पर कुल रू0 33.35 लाख का व्यय किया गया, जो अनियमित एवं मार्गदर्शिका के प्रतिकूल थे।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि जिला से प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि उक्त मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया था।

कंडिका–2 कार्यान्वयन हेतु दी गई अग्रिम राशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्तः ₹ 2053.52 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 प्रावधान करता है कि सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), समस्तीपुर कार्यालय का नमूना लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2008–09 से अधतन अवधि का विभाग से प्राप्त आवंटन एवं व्यय का लेखा–जोखा हेतू रोकड़ बही का संधारण जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर कार्यालय में किया गया था। किए गए व्यय से उद्घटित हुआ कि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यान्वित एजेंसियों को कुल रूपये 2053.52 लाख अग्रिम के रूप में दी गई थी। जिसका वित्तीय वर्ष में व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित प्रमंडलों/कार्यालयों द्वारा अप्राप्त था तथा लेखा परीक्षा के क्रम में उपलब्ध नहीं कराया गया विस्तृत ब्यौरा निम्न हैः–

कार्यकारी एजेंसी का नाम	अवधि	राशि रू0 लाख में
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग समस्तीपुर	2008–09 एवं 2010–11	95.86
कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद्, समस्तीपुर	2009–10 एवं 2010–11	40.10
कार्यपालक पदा0, नगर पंचायत, रोसड़ा	2008–09, 2009–10, 2011–12 एवं 2013–14	1407.90
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा	2008–09, 2010–11 एवं 2011–12	418.87
कार्यपालक अभियंता, डुडा, समस्तीपुर	2014–15 एवं 2015–16	90.79
	योग	2053.52

अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दी गई अग्रिम राशि का व्यय संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाना, उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही साथ राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त आपत्ति का जवाब जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा नहीं दिया गया। मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

कंडिका–3 परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि कोषागार में प्रेषित नहीं किया जाना–रू0 15.83 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लधन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), समस्तीपुर के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, समस्तीपुर में बी0ओ0क्यू0 के लिए संधारित बैंक खाता में जमा किया गया

था। यह पाया गया कि इस खाते में जनवरी 2011 से अधतन रू0 1583016.00 जमा थी।इस प्रकार सरकारी राजस्व को लगभग 6 साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया, जो उपरोक्त नियमों के विपरीत है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि परिमाण विपत्र की राशि संबंधित शीर्ष में शीघ्र जमा करा दी जायेगी। अतः इस संबंध में अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई कर इसके फलाफल से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका–4 (क) समस्तीपुर नगर परिशद् अंतर्गत बहादुर में स्टेशन चौक से मिडिल स्कूल चौकतक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि	–	रू0 46.99 लाख
परिमाण विपत्र मूल्य	–	रू0 46.99 लाख
एकरारित राशि	–	रू0 42.29 (10 प्रतिशत कम दर पर)
एकरारनामा सं. एवं वर्ष	–	7 एफ2/15–16
संवेदक का नाम	–	M/s Aadi Shakti Const. Samastipur
अद्यतन भुगतान	–	रू0 41.03 लाख, पांचवें एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं. 31/15–16 पृ.14,

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों व संचिकाओं की नमूना जांच क्रम में निम्न अनियमिततायें पाई गईः–

(i) अनाधिकृत भुगतानः रू 1.64 लाख

बिहार सरकार के मुख्य सचिव के पत्रांक 462 दिनांक 30.3.1982 तथा बिहार लोक कार्य संहिता के प्रावधानानुसार एकरारनामा के प्रत्येक मद में बढ़ोतरी होने पर 10 प्रतिशत तक कार्यपालक अभियंता, 15 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता तथा 25 प्रतिशत तक मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्रदान करने हेतू सक्षम प्राधिकारी है। इससे उपर की बढ़ोतरी होने पर सरकार से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही इन बढ़े हुए मदों की मात्राओं का भुगतान किया जाना है।

उक्त योजना के एकरारनामा एवं मापी पुस्त के नमूना जांच मे पाया गया कि एकरारनामा में दर्ज मात्रा से 10.89 प्रतिशत से 22.61 प्रतिशत की वृद्वि कर रू0 157635.00 का निर्माण कार्य कराया गया। परन्तु बढ़े हुए कार्य की मात्रा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। पुनः पाया गया कि मद सं0 5.1.2 में निर्धारित मात्रा 348.30 के विरूद्व 298.94 एम.क्यू. का ही कार्य सम्पादन किया गया था। परन्तु मद सं0 5.22.7 सी में छड़ की मात्रा का अधिक खपत दिखाया गया था। अधिक मात्राओं की गणना निम्न हैः–

Item no.	Quantity as per agreements	Quantity as per MB	Diff.	% in excess	Rate	Amounts	Remarks
15.7.4	105	128.18	23.18	22.07	435.70/m2	10100.00	
2.8.1	451.5	500.70	49.20	10.89	205/m2	10086.00	
5.22.7c	24381	26645.12	2264	9.29	71.81/kg	162578.00	Item no 5.1.2 में 348.30 m2 के विरूद्व 298.94m2 का कार्य किया गया था
Total						182764.00	
10% Less						18276.00	
Total						**164488.00**	

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही एकरारित मात्रा से अधिक कार्य का संवेदक को भुगतान किया गया, जो अनाधिकृत भुगतान हुआ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार कराया गया है जो कि एकरारनामा के अन्तर्गत है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

(ii) गलत भुगतानः रू0 0.12 लाख

नियमतः एकरारनामा/प्राक्कलन में निर्धारित अंकित मद, मात्रा एवं दर के अनुसार ही कार्यान्वयन पर भुगतान किया जाना है।

उक्त योजना से संबंधित अभिलेख यथा एकरारनामा एवं मापीपुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि मापीपुस्त सं0 31/15–16 के पृष्ठ सं0 24 में पांचवें एवं अंतिम भुगतान में मद सं0 3 में prov. Local sand fillings, quantity 38.938 m3, rate 192.50/m3 total amount 7495.56 का भुगतान बनाया गया था। पुनः मद सं0 8 में quantity 67.18 m3, rate 192.50/m3 total amount 12932.15 का भुगतान बनाकर संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया गया। जो वसूलनीय है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि अंतिम विपत्र का भुगतान नहीं किया गया हैं इस राशि को अंतिम विपत्र से कटौती कर ली जाएगी। अतः इस संबंध में अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई कर इसके फलाफल से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(iii) पर्याप्त गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे–**प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत

आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच दिनांक 11.5.16 को क्षेत्रीय प्रयोगशाला ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा द्वारा मात्र क्यूब टेस्ट रिपोर्ट ही संलग्न था। इसके अलावे अन्य कार्य एवं स्टेज का जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। अर्थात लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होने से कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुण्वत्ता जॉचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जॉचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर का भी जांच किया जाना था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि हर स्तर पर गुणवत्ता जॉच नहीं किया गया था।

कंडिका–4 (ख) परिसदन चौक से हरिजन थाना तक चौड़ीकरण व पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि	–	रू 49.87 लाख
तकनीकी स्वीकृति	–	रू 49.87 लाख
परिमाण विपत्र मूल्य	–	रू 49.13लाख
एकरारित राशि	–	रू 45.69लाख (अनु0दर से 7 प्रतिशत कम पर) (अधी.अभि. दि0)
एकरारनामा सं. एवं वर्ष	–	08 एफ–02/12–13
संवेदक का नाम	–	श्रीमती अनिता देवी, पति– श्री विजय कुमार, समस्तीपुर
अद्यतन भुगतान	–	रू 45.56 लाख, सातवें एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं.17पृ.12–13
पथ की लम्बाई	–	390मी0 (PCC)

(i) पी0सी0सी0 कार्य पर अनियमित भुगतान– रू 5.58 लाख

प्राक्कलन में 390मी0 का पी0सी0सी0 पथ का निमार्ण किया जाना था। मापी पुस्त की जॉच में पाया गया कि जी0एस0बी0 (पृ0–02–03 एवं 06) एवं डी0एल0सी0 (पृ0–06) कार्य 1262 फिट पर किया गया। किन्तु पी0सी0सी0 कार्य 1462फीट (पृ0–10–15) पर किया गया। अर्थात 200 फीट/60मी0 पर पी0सी0सी0 कार्य बिना सतह निर्माण के किया गया। इस प्रकार इस पर किया गया भुगतान रू 5,57,929/–{(60mx5.45mx0.25m)x6824.83}अनियमित था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार डी.एल.सी. एवं पी.सी.सी. कार्य किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

(ii) अनियमित भुगतान –रू 11.78 लाख

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में द्वितीय एवं अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में बिना प्रपत्र प्राप्त किए एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल ₹ 11,78,297.00 का भुगतान किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका। गणना निम्न हैः–

सामग्रियों के नाम	मात्रा	दर	राशि
Stone Aggregates	902.02	1006.47 / M^3	907856
Sone Sand	313.659	1118.30 / M^3	350764
Brick	22707	368.40 / %0	8365
योग			1266985
		7% less	88688
शुद्ध योग			₹ 1178297

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चालान की प्रत्याशा में रॉयल्टी काट ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संवेदक को इसका भुगतान सत्यापन प्राप्ति के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था।

(iii) गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशा निर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार किसी भी स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होना, कराया गया कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जॉचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जॉचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर का भी जांच किया जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

कंडिका– 4 (ग) अनुसूचित जाति/जनजाति थाना के निकट पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण वार्ड न0–14 नगर परिषद, समस्तीपुर निर्माण कार्य की समीक्षा

योजना का नाम/कार्य का नाम	पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण वार्ड न0–14
प्राक्कलित राशि	₹ 42,10,000–
तकनीकी स्वीकृति	₹ 42,10,000/– दिनांक 01.03.2012
एकारारनामा राशि	₹ 4124377/–
एकारारनामा सं0 :–	03 एफ^2/2011–12
संवेदक का नाम	श्री ओम प्राकश कुमार
कार्यादेश की तिथि	13.03.2012
कार्य समाप्ति की तिथि	तीन माह/12.06.2012
वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि/-	10.09.2013/छठवा चलन्त बिल

(i) अनाधिकृत भुगतान रू0 2.63 लाख

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0–27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6 (ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना आवश्यक है। इस योजना में 10 प्रतिशत के अन्तर्गत Deviation at a site statement किया गया था। विवरण निम्न है–

क0	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा (बी.ओ.क्यु)	वास्तविक तथा मापी की मात्रा	वृद्धि	अंतर मात्रा (प्रतिशत में)	दर	राशि
1/7	Providing 100A Brick work in C.M. (1:4)	41.01 M^3	97.31 M^3	56.3 M^3	137.28	3767.81	212127
2/11	Providing excatation in foundation n foot path	42.47 M^3	103.66 M^3	61.19 M^3	144.07	153.06	9366
3/15	Providing GSB in foundation foot path	16.51 M^3	27.11 M^3	10.6 M^3	64.20	1748.32	18532
4/16	Provision local sand filling	16.51 M^3	64.44 M^3	47.93 M^3	290.30	367.80	17629
4/18	Providing 12mm thickness th c.p in C.M (1:3)	92.93 M^3	129.65 M^3	36.72 M^3	39.51	136.22	5002
							262656

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्थल की आवश्यकता के अनुसार कार्य कराया गया जो एकरारनामा के अन्तर्गत है। जबाव संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

(ii) संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया जानाः ₹ 2.11 लाख

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर ही समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है जिसमें कार्य समाप्ति के समायावृद्धि माँग हेतु आवश्यक कारण दर्ज हो लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन दिनांक 03.12.2013 यानि कार्य समाप्ति दिनांक के लगभग 18 माह बाद (वास्तविक कार्य समाप्ति तिथि 12.07.2012) दिया गया है जो अनियमित है। कार्यादेश के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 12.07.2012 थी, परन्तु मापी पुस्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 10.09.2013 है। अतः कार्य विलम्ब अवधि 01 वर्ष 03 माह लगभग के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 42,10,000/– का 10 प्रतिशत (प्रतिदिन विलम्ब के 0.5 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत) ₹ 421000/– की कटौती किया जाना था परन्तु मापी पुस्त के अनुसार ₹ 2,09,649/– की कटौती की गयी है। रू0 211351 (421000– 209649) कटौती नहीं किया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य पूर्ण है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि उपर्युक्त क्लाउज का पालन नहीं किया गया था।

(iii) अनियमित भुगतान ₹ 2.67 लाख

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच कय में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरूद्ध था। इस कार्य में उपयोग किया सामग्री पर किया गया भुगतान निम्नानुसार है–

मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
लोकल बालू	164.97 m^3	183.35/m^3	30247
स्टोन चिप्स	120.78 m3	1211.78/m^3	146328
ईट	85117 no.	446.44/1000	38000
कोरसा सैण्ड	76.25 m3	685.66/m3	52282
		TOTAL	**266857**

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किए ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है। बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान करने के संबंध में पृच्छा की गई।

आपत्ति के जवाब में बताया गया चालान की प्रत्याशा में रॉयल्टी विपत्र से काट ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संवेदक को इसका भुगतान सत्यापन प्राप्ति के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था ।

(iv) गुणवता जॉच प्रत्येक स्तर पर नहीं किया जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होना, कराया गया कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है। बिना गुणवत्ता जॉच के संवेदक को अनियमित रूप से रू0 46,11,652/– का भुगतान किए जाने के कारण की पृच्छा की गयी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुण्वत्ता जॉचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जॉचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर पर जांच किया जाना आवश्यक था।

कंडिका–4 (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना से गोलम्बर तक सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि	–	रू 42.31 लाख
तकनीकी स्वीकृति	–	रू 42.31 लाख
परिमाण विपत्र मूल्य	–	रू 41.69 लाख
एकरारित राशि	–	रू 41.58 लाख (अनु0दर से 0.25 प्रतिशत कम पर) (अधी.अभि. दि0)
एकरारनामा सं. एवं वर्ष	–	01 एफ–02/15–16
संवेदक का नाम	–	श्री ओम प्रकाश कुमार, समस्तीपुर
अद्यतन भुगतान	–	रू 42.14 लाख, तृतीय एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं.पृ.25/15–16
पथ की लम्बाई	–	305मी0 (PCC)

(i) पूर्व सतह पर किये गये पी0सी0सी0 कार्य पर अनियमित भुगतान– रू3.80लाख

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0–27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6(ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Registerबनाना आवश्यक है। इस आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाना है।

नमूना जॉच में पाया गया कि प्राक्कलन में मद सं0–07 में पूर्व सतह पर पी0सी0सी0 कार्य 305 मी0 की लम्बाई में चौड़ाई 3 मी0 पर 0.150 मी0 की मोटाई (thickness) पर कार्य करना था, जिसकी मात्रा 137.25 घनमी0 थी। मापी पुस्त की जॉच में पाया गया कि इस कार्य में मोटाई (thickness) 0.200 मी ली गई, जिससे इसकी मात्रा 200.88 घनमी0 की हो गई। अर्थात 63.636 घनमी0 ($200.88m^3$-$137.25m^3$) का कार्य अधिक किया गया जो मूल कार्य से 46 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार इस मद में बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन के अधिक कार्य पर किया गया भुगतान रू 3,80,264 ($63.636m^3$x5975.62) अनियमित था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य किया गया है भविष्य मे इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

(ii) अनियमित भुगतानः रू 11.65 लाख

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

पाया गया कि उक्त कार्य में द्वितीय एवं अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में बिना प्रपत्र प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल ₹ 11,65,135.00 का भुगतान किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका। गणना निम्न हैः–

सामग्रियों के नाम	मात्रा	दर	राशि
Stone chips	514.55	1551.93 / M^3	798545
Sone Sand	257.27	1415.61 / M^3	364193
Brick	7832	678.98 / %0	5317
योग			1168055
		0.25% less	2920
शुद्ध योग			1165135

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चालान की प्रत्याशा में सामग्री विपत्र से काट ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संवेदक को इसका भुगतान सत्यापन प्राप्ति के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था।

(iii) गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रषासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवता जांच नहीं होना, कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जॉचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जॉचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर पर जांच किया जाना आवश्यक था।

कंडिका– 5(i)निविदा का अनियमित निष्पादन पर व्ययः रू0 125.85 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार निविदा का प्रकाशन से निविदा प्राप्त करने की तिथि न्यूनतम 7 दिन का समय अनिवार्य होना है। जिससे निविदा का निष्पादन में पारदर्शिता बनी रहें।

कार्यपालक अभियंता, डुडा समस्तीपुर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों के नमूना जांच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1. समस्तीपुर रेलवे ओवर ब्रीज से मालगोदाम चौक तक भाया रामबाबू चौक स्टेशन चौक फुटपाथ सहित आर.सीसी. नाला एवं कॉस नामा का निर्माण कार्य एवं 2. समस्तीपुर मालगोदाम से पुरानी दुर्गा मंदिर तक पी.सी.सी. सड़क सह दोनों तरफ फुटपाथ सहित आर.सी.सी. नाला एवं कॉस नाला निर्माण कार्य हेतू एन.आई.टी. सं0 03/2011–12 द्वारा निविदा निष्पादन यथा निविदा प्रकाशन की तिथि–26.3.12, बी.ओ. क्यू. बिक्री की तिथि–28.3.12, बीड प्राप्त करने की तिथि–29.3.12 एवं तकनीकी बीड खोलने की तिथि–29.3.12 निर्धारित थी। जो मात्र 4 दिनों का समय दिया गया था। इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों एवं संहिता के नियमों के विपरीत थे। पुनः पाया गया कि उक्त दोनों कार्यो के कार्यान्वयन हेतू संवेदक के साथ एकरारनामा दिनांक 30.5.12 को करते हुए क्रमशः आठवें एवं अंतिम विपत्र तक में कुल रू0 86.05 लाख एवं बारहवें एवं अंतिम विपत्र तक में कुल रू0 125.85 लाख का भुगतान कर कार्य पूर्ण करा दिया गया। इस प्रकार उक्त दो कार्यो के निविदा निष्पादन में अनियमितता बरती गई।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भविष्य में निविदा के संवंध में पर्याप्त समय दिया जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था।

(ii) पर्याप्त गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे–**प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच मात्र क्षेत्रीय प्रयोगशाला ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा द्वारा मात्र क्यूब टेस्ट रिपोर्ट ही संलग्न था, जो कार्य अनुसार प्रत्येक स्टेज का नहीं था। इसके अलावे अन्य

कार्य एवं स्टेज का जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवता जांच नहीं होने से कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जॉचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जॉचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर पर जांच किया जाना आवश्यक था।

कंडिका–6 निकासी की गई राशि रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं किया जाना– ₹ 2.99 करोड़

बिहार ट्रेजरी कोड वोलयूम । चैप्टर III के नियम 86 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए है।

(i) Each Government servants receiving money on behalf of Government should maintain a cash book in T.C. Form 6.

(ii) All monetary transaction should be entered in the cash book as soon as they occur and attested by the Head of the Office in the token of check.

(iii) The cash book should be closed and balanced each day regularly and completely checked and initial it as correct.

(iv) At the end of each month, the head of office should verify the cash balance in the cash book and record a signed and dated signature to the effect.

उक्त नियम को संशोधित करते हुए प्रावधान किए गए। राज्य सरकार में यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को नकद पंजी एवं नगद राशि की जॉच करेगें और प्रमाण पत्र नियमित रूप से नकद पंजी में अंकित करने के लिए लेखापाल एवं डी.डी.ओ. संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। भौतिक सत्यापन के क्रम में बैंक में जमा अग्रिम, अभिश्रव, अभुगतित चेक तथा चेस्ट में नगद राशि का मदवार सत्यापन किया जाना है। चेस्ट में नगद राशि के सम्बंध में नोटों का प्रकार एवं संख्या (denomination) का उल्लेख करना है। समय– समय पर रोकड़ पंजी में अंतशेष एवं बैंक खाता में अंतशेष की राशि का मिलान बैंक रिकॉनसिलेशन स्टेटमेन्ट बनाकर किया जाना है।

डूडा कार्यालय, समस्तीपुर की रोकड़ बही की जॉच में पाया गया कि दि0–01.04.16 से 22.09.16 तक की अवधि में रोकड़ बही नहीं लिखा गया, जबकि संबंधित बैंक– बैंक ऑफ इंडिया (खाता सं0–484010110010687) से रू 2.99 करोड़ की राशि की निकासी की गई।

आगे यह भी देखा गया कि रोकड़ बही के बीच– बीच में माह के अन्त में कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नहीं थे एवं रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अथशेष एवं अन्तशेष राशि की गणना/प्रविष्टि नहीं की गयी थी। अतः उक्त नियम की अवहेलना किये जाने के कारण वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि दिनांक 01.04.16 से 22.09.16 तक की अवधि की रोकड़बही अद्यतन कर ली जायेगी। मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।